फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

महेश चंद गोयल बनाम महिपाल

र्थना पत्र संख्या :– 01/2024 प्रा0 पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा 01/2024

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
25/4/2024	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश वशिष्ठ एवं अप्रार्थी अधिवक्ता श्री विजय कुमार शर्मा हाजिर। प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता व अप्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि विवादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी की अविभाजित कृषि भूमि है जिस पर वह निरंतर काबिज काश्त हैं जिसका अप्रार्थी विक्रय स्थानांतरण, प्लॉटिंग एवं विशेष भू भाग को खुर्द–बुर्द करने पर आमादा है। अतः ग्राम कालवाड, पटवार हल्का एवं भू0अ0नि0क्षेत्र कालवाड तहसील व जिला जयपुर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1046 रकबा 1.9981 हैक्टेयर में मौका एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने बाबत् अप्रार्थी को पाबंद किए जाने के आदेश प्रदान किये जाये। दिनांक 05.04.2024 को अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से जवाब पेश किया जा चुका है, जिसमें अप्रार्थी 01 ने अपने पैरा संख्या 02 में बताया कि उत्तरदाता वादोत्तर के साथ संलग्न नजरिये नक्शे अनुसार भूमि पर काबिज है व शेष हिस्से पर प्रार्थीगण काबिज है एवं प्रार्थीगण पूर्व कब्जे के अनुसार भूमि का विभाजन करते हैं तो मिन उत्तरदाता को कोई आपत्ति नहीं है जो शामिल पत्रावली है। प्रार्थी / अप्रार्थी [illegible] की बहस प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर सुनी गयी। दौराने बहस जाहिर तथ्यों, पत्रावली मय रिकार्ड के अवलोकन से हम पाते हैं कि विवादित आराजी पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी सहखातेदार हैं एवं विवादित भूमि का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sarita Sharma
Date: 2024.06.18 16:42:52 IST
Reason: SelfAttested

अतः वाद बहुलता को रोकने एवं वाद की विषय–वस्तु को संरक्षित रखने हेतु प्रार्थना –पत्रके चरण संख्या–2 में उल्लेखित भूमि पर उभयपक्षों को ताफैसला वाद मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु पाबंद किया जाता है। फैसला आज दिनांक 29/04/24...को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्जनम्बर से कम हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sarita Sharma
Date: 2024.06.18 16:42:52 IST
Reason: SelfAttested